

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 12.06.2025 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री ए बिपिन मेनन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में आयोजित 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (EOU) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
2. सुश्री हेमलता हेदाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), अतिरिक्त डीजीएफटी कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, (CLA) नई दिल्ली।
3. श्री जीवन राम ढाका, सहायक आयुक्त (तकनीकी), आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक) कार्यालय, जोधपुर
4. श्री सिया राम मीना, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, नोएडा, आईसीडी दादरी।

इसके अलावा, अनुमोदन समिति की बैठक के दौरान नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के उप विकास आयुक्त श्री ग्या प्रसाद, श्री मोहन वीर रुहेला, (सहायक विकास आयुक्त), श्री सुनील गुलियानी (स्टेनो), नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए मौजूद थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ जहां भी आवश्यक हो, आवेदकों/इकाइयों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. दिनांक 07.04.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

समिति को सूचित किया गया कि 07.04.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। अतः दिनांक 07.04.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

2 मैसर्स एक्सोटिक मार्बल्स एलएलपी का माद्री, देवस्थान, एन.एच 8, राजसमंद, उदयपुर, राजस्थान - 313001 में एक नई 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन।

2.1 समिति को सूचित किया गया है कि साझेदारी इकाई मैसर्स एक्सोटिक मार्बल्स एलएलपी ने दिनांक 28.11.2024 को माद्री देवस्थान, एनएच 8, राजसमंद, राजस्थान में **"संगमरमर ब्लॉक/टाइल्स और ग्रेनाइट ब्लॉक/टाइल्स (आईटीसी एचएस कोड: 68022110 और 68022310)"** के विनिर्माण और निर्यात के लिए 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। इकाई का प्रस्तावित निवेश 135.00 लाख रुपये है और प्रस्तावित रोजगार 15 व्यक्ति है।

2.2 इससे पहले, प्रस्ताव को 13.02.2025 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति की बैठक में रखा गया था। उक्त बैठक के विवरण के अनुसार, प्रस्ताव को आवश्यक अनुपालनों को पूरा करने के लिए स्थगित कर दिया गया था, जैसे कि चारदीवारी का निर्माण, अलग प्रवेश और निकास, सुरक्षा गार्ड, कैमरे और अग्निशमन उपकरण का प्रावधान, फिर सीमा शुल्क अधिकारियों (निवारक विंग, जोधपुर) द्वारा उनके पत्र संख्या CUS/LIC/EOU/62/2024- Tech दिनांक 03.06.2025 के माध्यम से पुनः स्थापन किया गया, जिसमें पुष्टि की गई कि इकाई अब विदेश व्यापार नीति के तहत प्रक्रिया पुस्तिका के अनुच्छेद 6.01 के अनुसार सभी अवसंरचनात्मक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती है।

2.3 अब, उपरोक्त अनुपालन के पश्चात, इकाई का आवेदन अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया। बैठक में इकाई के भागीदार श्री राजेंद्र वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया तथा प्रस्ताव को विस्तार से

सुरेंद्र मलिक ¹

समझाया। उन्होंने बताया कि वे कच्चे संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक और स्लैब का आयात करेंगे तथा उन्हें पुनः तैयार करने के पश्चात, उनका निर्यात करेंगे।

2.4 समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद आयातित मशीनरी में संशोधित निवेश के साथ संशोधित फॉर्म एएनएफ-6ए प्रस्तुत करने की शर्त पर इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

3. प्लॉट संख्या ए-11, सेक्टर-84, नोएडा में एक नई 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स ब्रेबर इक्विपमेंट इंडिया एलएलपी का आवेदन।

3.1 समिति को सूचित किया गया है कि साझेदारी फर्म मेसर्स ब्रेबर इक्विपमेंट इंडिया एलएलपी ने प्लॉट संख्या ए-11, सेक्टर-84, नोएडा में 330 "कृषि, निर्माण, वानिकी, लॉन गार्डन और औद्योगिक और संबद्ध उत्पादों के उपकरणों के लिए भाग, संयोजन और सहायक उपकरण" के विनिर्माण और निर्यात के लिए 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) स्थापित करने के लिए दिनांक 08.01.2025 और 27.05.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया है। इकाई के संयंत्र और मशीनरी में प्रस्तावित निवेश 750.00 लाख रुपये है और प्रस्तावित रोजगार 28 व्यक्तियों का है। समिति को यह भी सूचित किया गया कि इकाई द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27.05.2025 के उत्तर के अवलोकन पर, निम्नलिखित कमियाँ अभी भी पाई गई हैं: -

- i. इकाई ने आवेदन को अनुमोदन बोर्ड के लिए चिह्नित किया है, जबकि पहले इसे स्वचालित अनुमोदन के रूप में चिह्नित किया गया था।
- ii. कॉलम (VIII) और (XII) में यूएसडी में प्रस्तावित निर्यात अनुमान बेमेल पाए गए।
- iii. ANF-6A के कॉलम (XVII) और (XVIII) को पूरी तरह से खाली छोड़ दिया गया।
- iv. आवेदन के अंत में केवल हस्ताक्षर का उल्लेख किया गया है। नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, पूर्ण आवासीय पता, स्थान और तारीख को खाली छोड़ दिया गया।
- v. इकाई ने भागीदारों के पिछले 3 वर्षों के लिए एक नामित भागीदार श्री वेलु करुप्पिया के संबंध में आयकर रिटर्न जमा किया है। अन्य भागीदारों के संबंध में आईटीआर का अनुरोध किया जा सकता है।
- vi. (i) श्रीमती जैकी मैकलेज़; और (ii) श्री रोरी बिजर्नसन के संबंध में पैन, पासपोर्ट और संक्षिप्त परिचय की प्रति का अनुरोध किया जा सकता है;
- vii. प्रस्तावित विनिर्माण मद की सूची के अनुसार, इकाई ने अब 330 मदों की सूची प्रस्तुत की है। सूची को देखने पर, यह पाया गया है कि एचएसएन कोड और मद का नाम कई प्रविष्टियों से पूरी तरह मेल नहीं खाता है। इसलिए, इकाई को निर्यात नीति 2022 में प्रत्येक एचएसएन कोड के सामने दिए गए विवरण के अनुसार 'विनिर्माण मद' का उल्लेख करने की सलाह दी जा सकती है। मदों की इस सूची में एचएसएन कोड और मद का नाम शामिल है। प्रत्येक मद के खिलाफ क्षमता का भी अनुरोध किया जा सकता है। इसके अलावा, यह सूची स्व-प्रमाणित होनी चाहिए।
- viii. मेसर्स निक्कर होल्डिंग्स एलएलपी के संबंध में लेखों का ज्ञापन (MOA) की प्रति प्राप्त की जा सकती है। एलएलपी समझौते के अनुसार, मेसर्स निक्कर होल्डिंग्स एलएलपी कनाडा में पंजीकृत है।
- ix. इकाई ने कहा है कि उनके पास लुधियाना, पंजाब में इसी नाम से एक परिचालन घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई है

3.2 समिति को यह भी सूचित किया गया कि सहायक आयुक्त (ईओयू), नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा दिनांक 15.04.2025 के पत्र के माध्यम से अप्रेषित दिनांक 28.03.2025 के मुलाकात प्रतिवेदन के अनुसार, घोषित परिसर सुरक्षित पाया गया तथा मुलाकात के दौरान कोई प्रतिकूल बात सामने नहीं आई।

3.3 इकाई के प्रतिनिधि श्री आर पी चौहान और श्री सुनील शर्मा बैठक में शारीरिक रूप से शामिल हुए तथा श्री वेलु करुप्पैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को विस्तार से समझाया।

3.4 समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, उपरोक्त अनुच्छेद 3.1 में उल्लिखित सभी कमियों के बारे में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने की शर्त पर इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त